रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3522] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941
No. 3522] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3903(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली केरल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है, अर्थात् :-

क्रम सं.	सदस्य	प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, सचिव, थिरुवनंतपुरम	अध्यक्ष, पदेन;
2.	प्रधान सचिव. स्थानीय स्वायत्त सरकारी विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती सचिव, थिरुवनंतपुरम	सदस्य, पदेन;
3.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती सचिव, थिरुवनंतपुरम	सदस्य, पदेन;
4.	प्रधान सचिव, वन और वन्य जीवन विभाग केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती सचिव, थिरुवनंतपुरम	सदस्य, पदेन;
5.	प्रधान सचिव, मत्स्य पालन विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती सचिव, थिरुवनंतपुरम	सदस्य, पदेन;
6.	प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती सचिव, थिरुवनंतपुरम	सदस्य, पदेन;
7.	सचिव, शहरी कार्य विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती, सचिव, थिरुवनंतपुरम	सदस्य, पदेन;
8.	डॉ. दिनेश चेरुवत, निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य संस्थान, प्रशासन और प्रबंधन (एनआईएफएएम), ईस्ट कोडुंगल्लूर यू.सी.कॉलेज पोस्ट अलुवा, एर्नाकुलम जिला -683102, केरल	सदस्य (विशेषज्ञ);

9.	डॉ. पी.के. थ्लसीदास, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख (सेवानिवृत्त) लकड़ी,विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग और पूर्व टेक्नेट को-ऑर्डिनेटर इंटरनेशनल टीक इंफॉर्मेशन नेटवर्क, केरल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीची -660653, केरल	सदस्य (विशेषज्ञ);
10.	डॉ. रिचर्ड स्कारिया, सहायक प्रोफेसर, सदस्य विभाग, (विशेषज्ञ) भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज चित्तूर, पलक्कड़ -678104 केरल	सदस्य (विशेषज्ञ);
11.	श्रीमती अमृथा सथेसन, सहायक प्रोफेसर, मार ग्रेगोरीयस कॉलेज ऑफ लॉ, नालन्चिरा, तिरुवनंतपुरम	सदस्य (विधिक विशेषज्ञ);
12.	डॉ. चंदननाथ पप्पाचन जीवन, एआरआरडब्लूए-52 चंदनथिल, दूसरी मंजिल, मनक्कापरंबु लैन, आजाद रोड कलूर, कोच्चि -682017, केरल	सदस्य गैर सरकारी संगठन
13.	निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, 4 वीं केएसआरटीसी बस टर्मिनल, थम्पनूर, तिरुवनंतपुरम, केरल -695,001	2. सदस्य सचिव, पदेन ।

3. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय थिरुवनंतपुरम, केरल में होगा।

4. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति अपने सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई सदस्य से होगी ।

5. किसी पदेन सदस्य के सिवाय एक सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किए गए मानदंडों के अनुसार भत्ते भुगतान किए जाएंगे।

5. प्राधिकरण, संरक्षण के प्रयोजनों के लिए और तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता सुधार करते हुए और निवारक, उपशमन करते हुए तथा केरल राज्य में तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रदूषण पर्यावरणीय नियंत्रण करेगा, निम्नलिखित उपायों को करेगा, अर्थात् :--

(i) प्राधिकरण, परियोजना के प्रस्ताव हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त करने और समान समीक्षा करने के पश्चात यदि तटीय जोन प्रबंध योजना के लिए अनुमोदन के अनुसार है और संख्या का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना तटीय विनियमन जोन की अपेक्षा के भीतर है तथा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकरण के लिए ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना ;

(ii) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियमन जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमन करेगा ;

(iii) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना के उपाबंधों को प्रवृत्त करने के लिए और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन और तटीय प्रबंधन योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण हेतु विनिर्दिष्ट सिफारिश करेगा ।

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अभिकथित उल्लंघन की दशा में जांच करेगा ; और उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघनों में अंतर्ग्रस्त मामलों का पुनर्विलोकन करेगा ;

(vi) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा की शिकायत के आधार पर उक्त अधिसूचना उल्लंघन या अतिलंघन के मामलों की जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए प्राधिकृत है।

(viii) प्राधिकरण, अपने समक्ष मामले के तथ्यों की सत्यता के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी कार्यवाई करेगा ।

6. प्राधिकरण अपने कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और अपने कृत्यों से संबंधित जानकारी डालेगा जिसके अंतर्गत उसकी बैठक में कार्यसूची, बैठक का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना उल्लंघन और अतिलंघन पर मामलों के लिए सिफ़ारिश और ऐसे उल्लंघन

और अतिलंघन पर की गई कार्यवाई, न्यायालय मामला जिसके अंतर्गत न्यायालय के आदेश भी हैं और राज्य सरकार के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी है ;

7. राष्ट्रीय तटीय जोन प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. जे-17011/26/2007-आईए-III(पीटी)]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O. 3903(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutesthe Kerala Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as theAuthority) consisting of the following persons, for a period of three years, from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:—

S.No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Secretary, Environment Department, Secretariat, Thiruvananthapuram	Chairman, *ex-officio;*
2.	Principal Secretary, Local Self Government Department, Government of Kerala or his nominee, Secretariat, Thiruvananthapuram	Member, *ex-officio;*
3.	Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala or his nominee, Secretariat, Thiruvananthapuram	Member, *ex-officio;*
4.	Principal Secretary, Forest and Wild Life Department, Government of Kerala or his nominee, Secretariat, Thiruvananthapuram	Member, *ex-officio;*
5.	Principal Secretary, Fisheries Department, Government of Kerala or his nominee Secretariat, Thiruvananthapuram	Member, *ex-officio;*
6.	Principal Secretary, Revenue Department, Government of Kerala or his nominee, Secretariat, Thiruvananthapuram	Member, *ex-officio;*
7.	Secretary, Urban Affairs Department, Government of Kerala or his nominee, Secretariat, Thiruvananthapuram	Member, *ex-officio;*
8.	Dr. Dinesan Cheruvat, Director, National Institute of Fisheries, Administration and Management (NIFAM), East Kodungallur, U.C.College Post, Aluva, Ernakulam District-683102, Kerala	Member (*Expert);*
9.	Dr. P.K. Thulasidas, Senior Scientist and Head(Retd) Wood Science & Technology Division & Former TEAKNET Co-ordinator International Teak Information Network, Kerala, Forest Research Institute, Peechi-680653, Kerala	Member (*Expert);*
10.	Dr. Richard Scaria, Assistant Professor, Department of Geography, Government College Chittur, Palakkad-678104, Kerala	Member (*Expert);*
11.	Smt. Amritha Satheesan, Assistant Professor, Mar Gregorious College of Law, Nalanchira, Thiruvananthapuram	Member (Legal *Expert);*
12.	Dr. Chandanathil PappachanGeevan, ARRWA-52, Chandanathil, 2nd Floor, Manakkaparambu Lan, Azad Road, Kaloor, Kochi-682017, Kerala	Member, Non-Governmental Organization;

IndiaCode

13.	Director, Directorate of Environment and Climate Change, 4th Floor, KSRTC Bus Terminal, Thampanoor, Thiruvananthapuram, Kerala-695001	Member Secretary, *ex-officio*.

2. The Authority shall have its headquarters at Thiruvananthapuram, Kerala.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Kerala, take the following measures, namely:—

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number S.O.19(E), dated the 6thJanuary, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the Courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. J-17011/26/2007-IA-III (pt)]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.01 12:38:36 +05'30'